न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—82 / 2023 / 75 एल.आर.एक्ट (2023 / 82)

1. मूला पुत्र हजारी आयु 55 वर्ष जाति भांबी निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र छोटू जाति भांबी
2. पप्पू पुत्र छोटू जाति भांबी
3. लाली पुत्री छोटू जाति भांबी
4. भागचंद पुत्र रामसुख जाति भांबी
5. बबलू पुत्र रामसुख जाति भांबी
6. शारदा पुत्री रामसुख जाति भांबी
7. सुरेश पुत्र रामसुख जाति भांबी
8. सीता पुत्री रामसुख जाति भांबी
9. श्रीमती हीरा पत्नि रामसुख जाति भांबी
10. हीरा पत्नि हनुमान जाति भांबी
11. शिवजी पुत्र हनुमान जाति भांबी
12. माया पुत्री हनुमान जाति भांबी
13. ग्यारसी पत्नि रामचन्द्र जाति भांबी
14. लाला पुत्र रामचन्द्र जाति भांबी समस्त निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
15. मैनेजर ओरिएन्ट बैंक आफ कामर्स शाखा सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, नियमन आदेश दिनांक 07.07.1984 उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश के विरूद्ध अपील।

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रदीप यादव अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व 10 से 12
3. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4, 5, 7, 10, 13 व 14
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 16
5. रेस्पोडेंट संख्या 6, 8, 9, 15 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—30.03.2026

1. यह अपील उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 07.07.1984 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान प्रकरण में उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा नियमन के आदेश पारित किए गए उक्त नियमन आदेश दिनांक 07.07.1984 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. नियमन/आवंटन की मूत्र पत्रावली प्राप्त होने पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6, 8, 9, 15 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि न्यायलय में अपीलान्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आवंटन आदेश दिनांक 07. 07.1984 उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील बाबत् प्रस्तुत की गयी जिसमें सफलता की पूर्ण आशा निहित है। विवादित भूमि ग्राम देराडू में स्थित है के पुराने चौसाला खसरा नम्बर 3561, 3562, 3564 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा 3747, 3748 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.38, 1433 रकबा 0.91, 1434 रकबा 1.35, 1434/7479 रकबा 0.01, 1436 रकबा 1.20. 1435 रकबा 1.29 अपीलांट के दादा बींजा वल्द महाराम के नाम खतौनी जमाबंदी सनफसली 1349 से खातेदारी काबिज काश्त की चली आ रही है किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा भूमि को गलत रूप से सिवायचक की जाने से अपीलार्थी की कब्जे व आधिपत्य की भूमि को दिनांक 07.07.1984 को आवंटन गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के पूर्वज छोटू, रामसुख व रामचन्द्र पुगण मांग्या के नाम की गयी आवंटन करने की किसी प्रकार की सुचना या प्रकाशन नहीं किया गया तथा नियमानुसार आवंटन नियमन के लिय उदघोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किया जाना आवश्यक था तथा नियमन सलाहकार समिति द्वारा पारित नहीं किया गया केवल मात्र उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से आवंटन एवं नियमन के पात्र अपीलान्ट के दादा की खातेदारी भूमि की अनदेखी करते हुऐ गलत तरीके के आवंटन/नियमन किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही कभी काश्त की गयी है जबकि अपीलार्थी एवं उसका परिवार आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे आवंटन आदेश को निरस्त कराने के लिये कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें अनुमति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1984 की जानकारी अपीलान्ट को राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद का जवाब दिनांक 06.09.2022 को प्रस्तुत किया गया के पश्चात होने पर आवंटन आदेश की नकल

दिनांक 06.02.2023 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक 10.02.2023 को आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की गयी तथा रेस्पोडेन्टगण द्वारा मौके पर दिनांक 05.02.2023 को मौके पर निर्माण कार्य चालू कर दिया गया तब हुई जो अपील जानकारी से अविलम्ब अंदरमियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें बतौर पक्षकार मुर्तिब किया जाकर सुनवाई किया जाना आवश्यक होने से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण करना उचित समझते है। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया। अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा मूल नियमन/आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के खण्डन में लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सीधे ही मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रवावली के अवलोकन के पश्चात हमने पाया कि नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1984 का है। जिसके खसरा नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है।

चौसाला/सन फसली 1349 के अनुसार खसरा नम्बर	रकबा बीघा	वर्किंग संवत 2041 अनुसार खसरा नम्बर	रकबा बीघा	हाल आधार जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
3561	26–7–10	3747	16–7–10	1432	0.38
				1433	0.91
				1434	1.35
		3748 मिन	10–0–0	3435	1.29
3562	3–10–00	3749	2–12–00	1445	0.40
		3748	00–18–00	1436	1.20
3564	4–10–00	3748	4–10–00		
3565/3	8–3–00	3754	1–13–00	1396	0.27
3657	2–8–00	3833	0–17–00	1604/7648	0.05

उक्त खसरा नम्बरों सनफसली 1349 चौसाला जमाबंदीया, गिरदावरीयां वर्किंग जमाबंदी, हाल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफलों का अवलोकन

करने पर पाया कि साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 की सनफसली 1349 में खातेदार के कॉलम में बींजा वल्द मेहराम कौम बलाई खातेदार काश्तकार दर्ज है उक्त साबिक चौसाला/सनफसली खसरा नम्बर 3562 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3749 रकबा 2–12–00, 3748 रकबा 18 बिस्वा व सनफसली 1349/चौसाला खसरा नम्बर 3564 रकबा 4–10–00 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3748 रकबा 4–10–00 बने है। साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 के वर्किंग में बनने वाले खसरा नम्बर 3748 जो कि प्रार्थीगण के पूर्वज बींजा वल्द महराम कौम बलाई की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात रही है। उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 3748 जिसके हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर बने है। वर्तमान अपीलांट बींजा वल्द महराम कौम बलाई के वारिसान है तथा उक्त आराजीयात उनकी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी होना व कब्जे काश्त में होना राजस्व दस्तावेजों से साबित है तथा उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 3748 जिसके हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमी को रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों छोटू, रामचन्द्र व रामसुख पिता मांगू को आवंटन किये जाने से प्रार्थी/अपीलांट उक्त प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में भी स्पष्टतया अंकित है कि R.B.J(8)2001 PAGE 313-***"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-SECTION 96-*** *when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*

अतः अपीलांट/प्रार्थी प्रकरण में व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर अपीलांट/प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि विवादित भूमि ग्राम देराठू में स्थित है के पुराने चौसाला खसरा नम्बर 3561, 3562, 3564 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा 3747, 3748 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.38, 1433 रकबा 0.91, 1434 रकबा 1.35, 1434/7479 रकबा 0.01, 1436 रकबा 1.20, 1435 रकबा 1.29 अपीलांट के दादा बींजा वल्द महाराम के नाम खतौनी जमाबंदी सनफसली 1349 से खातेदारी काबिज काश्त की चली आ रही है किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा भूमि को गलत रूप से सिवायचक की जाने से अपीलार्थी की कब्जे व आधिपत्य की भूमि को दिनांक 07.07.1984 को आवंटन गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के पूर्वज छोटू, रामसुख व रामचन्द्र पुगण मांग्या के नाम की गयी आवंटन करने की किसी प्रकार की सुचना या प्रकाशन नही किया गया तथा नियमानुसान आवंटन नियमन के लिय उदघोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किया जाना आवश्यक था तथा नियमन सलाहकार समिति द्वारा पारित नहीं किया गया केवल मात्र उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से आवंटन एवं नियमन के पात्र अपीलान्ट के दादा की खातेदारी भूमि की अनदेखी की करते हुऐ

गलत तरीके के आवंटन/नियमन किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही कभी काश्त की गयी है जबकि अपीलार्थी एवं उसका परिवार आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे आवंटन आदेश को निरस्त कराने के लिये कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें देरी क्षमा योग्य है। आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1984 की जानकारी अपीलान्ट को राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद का जवाब दिनांक 06.09.2022 को प्रस्तुत किया गया के पश्चात होने पर आवंटन आदेश की नकल दिनांक 06.02.2023 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक 10.02.2023 को आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की गयी तथा रेस्पोडेन्टगण द्वारा मौके पर दिनांक 05.02.2023 को मौके पर निर्माण कार्य चालू कर दिया गया तब हुई जो अपील जानकारी से अविलम्ब अंदरमियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कथन कि ग्राम देराठू के हाल खसरा संख्या 1432, 1433, 1434, 1434/7479, 1435, 1436 अपीलान्ट के दादा बींजा वल्द मेहराम के नाम खतौनी जमाबन्दी सनफसली 1249 से खातेदारी चली आ रही है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि को गलत रूप से सिवायचक कर दिनांक 07.07.1984 को रेस्पो० के पूर्वज छोटू, रामचन्द्र, रामसुख को गलत रूप से आवंटन कर दी गयी है, कपोलकल्पित होने से अस्वीकार है क्योंकि अपील में अंकित हाल खसरा संख्या 1432 1433, 1434, 1434/7479 का तो अपीलान्ट व रेस्पो० का कोई सरोकार ही नहीं है एवं खतौनी जमाबन्दी सनफसली 1349 से कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते तथा चरण संख्या 2 के अन्य कथन उपरोक्त आधार पर ही अस्वीकृत हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कथन कि अपीलांट को आवंटन आदेश दिनांक 7.7.1984 की जानकारी दिनांक 6.9.2022 को दावे में रेस्पोडेन्ट के जवाब प्रस्तुत करने पर हुई जिसकी अपील श्रीमान के समक्ष दिनांक 21.2.23 को की गई, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 77 के अनुसार मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा उक्त मियाद बाहर अपील में संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये गए हैं जिससे भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मियाद के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील जानकारी के बावजूद भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा मियाद के सम्बन्ध में कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2017 पार्ट–1 पेज नम्बर 117 में प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब को स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण अंकित किया जाना आवश्यक है तथा मुवक्किल की सुस्ती पर उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। साथ ही आर.आर.टी. 2016–17 सप्ली० पेज 158 व आर.आर.टी. 2016 पार्ट–2 पेज 1381 में भी सपष्ट किया गया है कि विलम्ब स्पष्ट करने

हेतु पर्याप्त कारण अंकित किया जाना आवश्यक है तथा अस्पष्ट आधारों पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता, के आधार पर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 –
CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि आराजीयात संन फसली 1349 खतौनी जमाबंदी में अपीलार्थी के दादा बींजा वल्द महाराम कौम बलाई के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही थी तथा अपीलार्थी के दादा बींजा की मृत्यु के पश्चात उसके एक वारिस पुत्र हजारी हुआ तथा हजारी की मृत्यु हो गयी का एकमात्र वारिस मूला अपीलान्ट है तथा अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के बजाय भूमि को सिवायचक अंकन कर दिया तथा सिवायचक अंकन करने के पश्चात अपीलान्ट के परिवार के छोटू, रामचन्द्र, रामसुख पुत्रगण मांगू के द्वारा पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि का अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से उपजिला

अधिकारी अजमेर से दिनांक 07.07.1984 को दावाकृत भूमि का अपने नाम आवंटन करा लिया गया तथा पश्चातवर्ती रेकार्ड वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 3747 रकबा 26–7–10 व 3748 रकबा 8–0–0 के वर्तमान जमाबंदी में बने हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.38, 1433 रकबा 0.91, 1434 रकबा 1.35, 1434/7479 रकबा 0.01, 1436 रकबा 1.20, 1435 रकबा 1.29 को त्रुटिपूर्ण एंव गलत रूप से तथाकथित आवंटन दिनांक 07.07.1984 से अपने नाम करा लिया गया तथा मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त से बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व न्यायालय में खातेदारी एंव इन्द्राज दूरुस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया का रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब दिनांक 06.09.2022 को प्रस्तुत किया तथा जवाब में भूमि को आवंटन होने का कथन किया गया कि जानकारी अपीलान्ट को हुई तत्पश्चात रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 05.02.2023 को मौके पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया तथा भूमि को हडपने की धमकी दी गयी जिससे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 14 के पूर्वज छोटू रामसुख व रामचन्द्र के नाम किया गया आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1984 को निरस्त किया जावे के लिये अपील प्रस्तुत की जा रहा है। विवादित भूमि ग्राम देराठू में स्थित है के पुराने चौसाला खसरा नम्बर 3561, 3562, 3564 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा 3747, 3748 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.38 1433 रकबा 0.91, 1434 रकबा 1.35, 1434/7479 रकबा 0.01, 1436 रकबा 1.20, 1435 रकबा 1.29 अपीलांट के दादा बींजा वल्द महाराम के नाम खतौनी जमाबंदी सनफसली 1349 से खातेदारी काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा भूमि को गलत रूप से सिवायचक की जाने से अपीलार्थी की कब्जे व आधिपत्य की भूमि को दिनांक 07.07.1984 को आवंटन गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के पूर्वज छोटू, रामसुख व रामचन्द्र पुगण मांग्या के नाम की गयी आवंटन करने की किसी प्रकार की सुचना या प्रकाशन नहीं किया गया तथा नियमानुसार आवंटन नियमन के लिय उदघोषणा जारी कर आम सूचना प्रकाशित किया जाना आवश्यक था तथा नियमन सलाहकार समिति द्वारा पारित नहीं किया गया केवल मात्र उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से आवंटन एवं नियमन के पात्र अपीलान्ट के दादा की खातेदारी भूमि की अनदेखी करते हुऐ गलत तरीके से आवंटन/नियमन किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और ना ही कभी काश्त की गयी है जबकि अपीलार्थी एवं उसका परिवार आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। नियमन आदेश जो पारित किया गया है वह कोरम द्वारा पारित नहीं किया गया वरन मात्र उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित किया गया है तथा उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा कब्जे संबंधि कोई दस्तावेज या मौके का निरीक्षण नहीं किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 के पूर्वज छोटू, रामसुख व रामचन्द्र के नाम कितनी भूमि थी या भूमिहीन काश्त था या नहीं और जीविका उपार्जन कृषि पर निर्भर था या नहीं सभी नियमों की अनदेखी करते हुऐ बिना कोई उदघोषणा पारित किये बिना आवंटन किया गया जो निरस्त किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 की विवादित भूमि पर कभी भी कोई काश्त नहीं रही है तथा ना ही पूर्वज

छोटू, रामसुख, रामचन्द्र का कब्जा रहा है तथा विवादित भूमि अपीलार्थी की कब्जा की भूमि है जो खतौनी जमाबंदी से स्पष्ट है और ना ही अपीलार्थी को आवंटन नियमन बाबत कोई सूचना दी गयी है तथा अपीलार्थी विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से खातेदार काबिज चला आ रहा है जिससे प्रथमतया आवंटन नियमन कराने का अधिकारी था किन्तु किसी भी नियमों एवं शर्तों की पालना नहीं की गयी आवंटन नियमों के अभाव में उक्त आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1984 को निरस्त योग्य है। दावाकृत भूमि के आवंटन दिनांक 07.07.1984 की जानकारी अपीलान्ट को राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद का जवाब दिनांक 6.09.2022 को प्रस्तुत किया गया के पश्चात आवंटन आदेश की नकल दिनांक 06.02.2023 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया दिनांक 10.02.2023 को आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की गयी तथा रेस्पोडेन्टगण द्वारा मौके पर दिनांक 05.02.2023 को निर्माण कार्य चालू कर दिया गया। प्रार्थना पत्र नियत न्याय शुल्क पर क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसकी सूनवाई का अधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व उपजिला अधिकारी अजमेर द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 07.07.1984 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि सिवायचक होने से तत्समय भूमि का नियमन रेस्पोडेंट के नाम किया गया। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। रेस्पोडेंट के साथ अन्य व्यक्तियों को भी भूमि का नियमन किया गया था, परंतु अपीलांट द्वारा उन्हें वर्तमान प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

12. अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील के गुणावगुण पर की गई बहस पर मनन किया। अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा नियमन/आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि सनफसली 1349 चौसाला जमाबंदीया, गिरदावरीयां वर्किंग जमाबंदी , हाल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफलों का अवलोकन करने पर पाया कि साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 की सनफसली 1349 में खातेदार के कॉलम में बींजा वल्द मेहराम कौम बलाई खातेदार काश्तकार दर्ज है उक्त साबिक चौसाला/सनफसली खसरा नम्बर 3562 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3749 रकबा 2–12–00, 3748 रकबा 18 बिस्वा व सनफसली 1349/चौसाला खसरा नम्बर 3564 रकबा 4–10–00 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3748 रकबा 4–10–00 बने है। साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 के वर्किंग में बनने वाले खसरा नम्बर 3748 जो कि प्रार्थीगण के पूर्वज बींजा वल्द

महराम कौम बलाई की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात रही है। उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 3748 जिसके हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर बने है। वर्तमान अपीलांट बींजा वल्द महराम कौम बलाई के वारिसान है तथा उक्त आराजीयात उनकी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी होना व कब्जे काश्त में होना राजस्व दस्तावेजों से साबित है तथा उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 3748 जिसके हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमी को रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों छोटू, रामचन्द्र व रामसुख पिता मांगू को त्रुटिपूर्वक आवंटन किया जाना दस्तावेजों से साबित है क्योंकि नियमन आदेश केवल सरकारी भूमि का ही पुराने लगातार कब्जे काश्त के आधार पर किया जाता है जबकि उक्त विवादित साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 की सनफसली 1349 में खातेदार के कॉलम में बींजा वल्द मेहराम कौम बलाई खातेदार काश्तकार दर्ज है उक्त साबिक चौसाला/सनफसली खसरा नम्बर 3562 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3749 रकबा 2–12–00, 3748 रकबा 18 बिस्वा व सनफसली 1349/चौसाला खसरा नम्बर 3564 रकबा 4–10–00 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3748 रकबा 4–10–00 बने है। साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 के वर्किंग में बनने वाले खसरा नम्बर 3748 जो कि प्रार्थीगण के पूर्वज बींजा वल्द महराम कौम बलाई की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात रही है जो बाद में भूसंशोधन की कार्यवाही के दौरान वर्किंग जमाबंदी बनाते समय त्रुटिपूर्वक सरकारी खाते में दर्ज की गई थी। जबकि सेंटलमेंट अधिकारी को पूर्व के राजस्व रिकार्ड को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। उक्त त्रुटिपूर्वक हुए इन्द्राज के बाद नियमन कमेटी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3748 बने तथा हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेर बने है की मौके व साबिक राजस्व रिकार्ड की जांच किये बिना ही वर्किंग खसरा नम्बर 3748 का आवंटन/नियमन में दिये गये विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए त्रुटिपूर्ण रूप से वर्किंग खसरा नम्बर 3748 जिसके हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 है को रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों को नियमन किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों को नियमन आदेश में अंकित वर्किंग खसरा नम्बरों में से केवल वर्किंग खसरा नम्बर 3748 जिसके साबिक खसरा नम्बर 3562 व 3564 थे जिसके हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर बने है जो अपीलांट/प्रार्थी के पूर्वजों की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात रही है, गलत रूप से नियमन की गई है। उक्त चौसाला खसरा नम्बर 3562 व 3564 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3748 व हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमि बाबत नियमन आदेश अविधिक व बिना मौके व राजस्व रिकार्ड की जांच किये, किया गया है। जो कि त्रुटिपूर्ण व राजस्व दस्तावेजों के विपरित होने से नियमन आदेश दिनांक 07.07.1984 आंशिक रूप से खारिज योग्य है। अतः रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों को किये गये नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1984 को साबिक खसरा नम्बर 3562, 3564 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3748 व हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर की हद तक खारिज किये जाने योग्य है।

माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **2014(1) आरआरटी 593** का ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

13. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कि जाती है तथा उपजिला अधिकारी, अजमेर/नियमन कमेटी ग्राम देराठू द्वारा नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 07.07.1984 को साबिक खसरा नम्बर 3562, 3564 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 3748 व हाल खसरा नम्बर 1436 रकबा 1.20 हैक्टेयर की हद तक खाारिज किया जाता है। तहसीलदार, नसीरबाद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर